कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) 1988–89 के दौरान, उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि होने के फल-स्वरूप, तिलहनों के मूल्य 1987–88 में असाधारण रूप से ऊंचे रहे मूल्यों से कम हो गए हैं।

(ख) और (ग) सरकार ने, यह सुनिश्चित करने के लिए कि सरसों सहित तिलहनों के उत्पादकों को उनके उत्पाद के उचित दाम मिल सकें, दो सार्वजनिक एजेंसियां नियुक्त की हैं। भारत का राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लि० (नेफेड) को तिलहन उत्पादकों को न्यनतम समर्थन मूल्यों पर बाजार समर्थन प्रदान करने की जिम्मेवारी सौंपी गई हैं। सरकार ने बाजार हस्तक्षेप एजेंसी के रूप में राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड को भी शामिल किया है ताकि खाद्य तेलों/तिलहनों के मूल्यों को उन स्तरों पर बनाए रखा जा सके जो किसानों और उपभोक्ताओं दोनों के लिए उचित हों।

(घ) और (ङ) राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड तिलहन उत्पादक सहकारी संघों के जरिए किसानों से तिलहनों की अधिप्राप्ति करता है।

फलों और सब्जियों की प्रति व्यक्ति उपलब्धता

1340. **श्री राम जेठमलानी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में आम आदमी द्वारा प्रति व्यक्ति प्रतिदिन औसत उपभोग की तुलना में फलों व सब्जियों का वर्तमान उत्पादन कितना है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि प्रति व्यक्ति उपभोग की मात्रा, निर्धारित पौष्टिक आम भोजन की फल और सब्जियों की मात्रा से बहुत ही कम है; और

(ग) यदि हां, तो निर्धारित पौष्टिक भोजन की मात्रा को पूरा करने के लिए फलों और सब्जियों के उत्पादन को किस सीमा तक बढ़ाना होगा, तथा सरकार द्वारा इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या समयबद्ध योजना तैयार की गयी है?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) देश में फलों और सब्जियों के उत्पादन के पक्के अनुमान उपलब्ध नहीं हैं। तथापि, तदर्थ मूल्यांकन के अनुसार देश में फलों और सब्जियों (आलू सहित) का कुल उत्पादन क्रमशः करीब 255 और 500 लाख टन था। कुल उत्पादन में हुई 25 प्रतिशत क्षति को ध्यान में रखते हुए देश में फलों और सब्जियों की प्रति दिवस प्रति व्यक्ति खपत क्रमशः 66 ग्राम और 129 ग्राम आंकी गयी है।

(ख) देश में फलों और सब्जियों की प्रति व्यक्ति खपत पोषाहार के लिए निर्धारित आवश्यक मात्रा से कुछ कम है।

(ग) 1967–68 से 1987–88 तक की अवधि के दौरान देश में फलों तथा सब्जियों को उत्पादन में प्रति वर्ष करीब, 3.80 प्रतिशत की चक्रवृद्धि विकास दर से वृद्धि हुई है। चूंकि फलों और सब्जियों की विकास दर जनसंख्या की विकास दर की तुलना में बहुत ज्यादा है, अतः इस पोषाहार संबंधी अंतराल को आठवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक भरे जाने की सम्भावना है।

कुप्रबंध की वजह से नष्ट होने वाली कृषि वस्तुओं की हानि

1341. **श्री राम जेठमलानी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान नष्ट होने वाली कृषि वस्तुओं के संबंध में एक टीम द्वारा प्रस्तुत की गयी रिपोर्ट की ओर दिलाया गया जिसमें यह कहा गया है कि फलों व सब्जियों के उत्पादन के बाद देश में कुव्यवस्था के कारण करोड़ रुपये की हानि होती है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार ने इस कुव्यवस्था को समाप्त करने और फल तथा सब्जियों के रख-रखाव उनके पैकिंग व बाजार में बेचने की तकनीक में तत्काल सुधार लाने के लिए कोई कारगर कदम उठाने का निश्चय किया है; और

(घ) यदि हां, तो किए जा रहे उपायों का पूरा ब्यौरा क्या है, और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) :(क) और (ख) रिपोर्ट ने यह अनुमान लगाया है कि फलों की करीब 25–40 प्रतिशत क्षति खपत के चरण तक इन्हें तोड़ने, पैक करने और परिवहन के कारण होती है।

(ग) और (घ) खाद्य परिसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए अलग से एक खाद्य परिसंस्करण उद्योग विभाग बनाया गया है। सरकार ने अप्रैल, 1984 में सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के अन्तर्गत एक राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड गठित किया है। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड खेती के बाद की क्षति को कम करने संबंधी योजनाएं क्रियान्वित कर रहा है। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड द्वारा ग्रेडिंग और पैकिंग संबंधी सुविधाओं वाली एक केन्द्रीय शीत भण्डारण सुविधा स्थापित की गई है जिसके अन्तर्गत दिल्ली में फलों और सब्जियों के वितरण के लिए 135 बिक्री केन्द्र स्थापित किए गए हैं।

असिंचित भूमि में उत्पादन बढ़ाने के लिए नयी तकनीक

1342. **श्री राम जेठमलानी:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने एक नई प्रकार की कृषि तकनीक का अन्वेषण किया है जिसके द्वारा असिंचित भूमि में वर्तमान उत्पादन को बढ़ाकर चार गुना किया जा सकता है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और क्या इस नई कृषि तकनीक को आम किसान तक पहुंचाने के लिए सरकार द्वारा कोई कार्य योजना तैयार की गई है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं और इस प्रकार की योजना कब तक बनाए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) :(क) से (ग) जी हां। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के वैज्ञानिकों ने स्थान विशेष के लिए बारानी खेती की उन्नत प्रौद्योगिकी का विकास किया है। इस प्रौद्योगिकी के प्रमुख अंग हैं:—मृदा तथा जल संरक्षण के उपयुक्त उपाय, अधिक उपज देने वाली विभिन्न फसलों की किस्मों/संकर किस्मों का उपयोग, उन्नत कृषि औजार, अनुकूलतम उर्वरक उपयोग तथा पौध संरक्षण की विधियां, जल को एकत्रित करना तथा उसका पुनः उपयोग।

व्यावहारिक अनुसंधान प्रायोजनाओं में यह प्रदर्शित किया जा चुका है कि जब ये सभी उपाय अपनाए जाते हैं तो बारानी फसलों की उपज तीन से चार गुनी बढ़ जाती है। यदि फसलों की उन्नत किस्मों, खेती की विधियों तथा सन्तुलित उर्वरकों का उपयोग किया जाये तो फसलों की उपज दुगनी तक की जा सकती है।

उन्नत बारानी खेती की प्रौद्योगिकी के व्यापक प्रसार के लिए भारत सरकार ने वर्ष 1986–87 से 239 करोड़ रुपये के परिव्यय से बारानी खेती के लिए राष्ट्रीय जलसंभर विकास पर एक केन्द्रीय प्रायोजित कार्यक्रम शुरू किया है। इसमें 16 राज्यों के 99 जिले आते हैं जहां 500 मी०मी० से 1125 मी०मी० तक वर्षा